न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2021 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेडा	बनाम	1. हीरालाल पुत्र मोहनलाल लुहार निवासी डेलास तहसील करेडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./861/2013/भीलवाडा सरकार बनाम हीरालाल निर्णय दिनांक 17.12.2020 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट करे कि उक्त आवंटन को किस नियम के तहत बाधित होना प्रमाणित होता हैं तथा किस नियम के तहत उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना उचित होगा। प्रकरण को समस्त राजस्व रिकार्ड से परीक्षण करावे तदनुसार अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन रूल 1979 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लेवें।

तहसीलदार करेडा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में प्रश्नगत आराजी नं0 233 रकबा 180.15 बीघा की किस्म नदी दर्ज हैं।
2. जमाबंदी संवत् 2030 से 2034 में प्रश्नगत आराजी नं0 233 रकबा 180.15 बीघा की किस्म नदी दर्ज हैं।
3. जमाबंदी संवत् 1991 में प्रश्नगत आराजी नं0 152 व 153 किस्म नदी दर्ज हैं। भू प्रबन्ध सेटलमेण्ट के दौरान आराजी नंबर 233 किस्म नदी के नये नम्बर 152 व 153 किस्म गे.मु. नदी दर्ज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण सं0 186/1990 दिनांक 07/07/1990 से विपक्षी द्वारा ग्राम डेलास तहसील माण्डल(वर्तमान में करेडा) की आ0नं0 233 में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर खोदे गये कुऐ को सशर्त नियमित किया गया हैं। आदेश में भूमि की किस्म बिलानाम नदी अंकित हैं। आदेश की पालना में

21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खोले गये नामान्तरकरण सं0 170 में आराजी नं0 233 की किस्म गै0मु0नदी दर्ज हैं। उक्त नामान्तरकरण में आ0नं0 830/233 रकबा 0.01 बीघा को विपक्षी के नाम गै0मु0चाह दर्ज किया गया, जो दिनांक 04/08/1990 को स्वीकृत हुआ हैं। राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 1991, 2030 से 34, 2033 से 36 में प्रश्नगत आराजी नंबर 830/233 रकबा 0.01 बीघा भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक के रूप में अभिलिखित है तथा किस्म नदी दर्ज हैं, इससे यह तथ्य तो सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग गै0मु0नदी अंकित थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल. आर./861/2013/भीलवाडा सरकार बनाम हीरालाल निर्णय दिनांक 17.12.2020 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 16.02.2021 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम डेलास तहसील करेडा के आराजी नंबर 233 रकबा 180.15 बीघा किस्म गे.मु. नदी संवत् 1991, 2030 से 34, 2033 से 36 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण सं0 186/1990 दिनांक 07/07/1990 से विपक्षी द्वारा ग्राम डेलास तहसील माण्डल (वर्तमान में करेडा) की आ0नं0 233 में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर खोदे गये कुऐ को सशर्त नियमित किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार करेडा ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 1991, 2030 से 34, 2033 से 36 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्ध होकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव–

आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम डेलास तहसील करेडा के आराजी नंबर 233 रकबा 180.15 बीघा किस्म गे.मु, नदी संवत् 1991, 2030 से 34, 2033 से 36 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा